(ख) चयन बोर्ड के कौन-कौन सदस्य हैं तथा क्या इस प्रकार के एजेंटों का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है और क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ कोई दोष रहित प्रणाली अपनाने का विचार रखती है;

(ग) क्या पेट्रोल पंपों तथा गैस ऐजेन्सियों के आबंटन के लिए कम्प्यूटर प्रणाली आरंभ की जा सकती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर हां, तो इसके कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(ङ) आरक्षित कोटे की श्रेणी में आने वाले अन्य व्यक्तियों के अलावा आयकर का भुगतान न करने वाले ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं तथा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हे पैट्रोल पंप और गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं और जिनके परिवार राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)**: (क) और (ख) संबंधित तेल कंपनियों द्वारा उचित श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति/अनु॰ जनजाति, स्वतंत्रता सैनानी, शारीरिक रूप से विकलांग, अन्य आदि के अंतर्गत मोटर स्प्रिट/हाई स्पीड डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों और एल पी जी वितरण केन्द्रों के लिए विज्ञापन जारी किये जाते हैं। सभी आवेदक जो आय, उम्र, निवास आदि से संबंधित पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं को संबंधित तेल चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश होता है तथा इसका सदस्य एक सेवा निवृत्त वरिष्ठ सिविल अधिकारी होता है। इस प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली को आरंभ करना उपयुक्त नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस संबंध में तेल विपणन कंपनियों द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते।

**Disposal of Review Petition**

2058. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2041 given in the Rajya Sabha on the 28th November, 1988 and state :

(a) whether it is a fact that all the review petitions received during 1987 and 1988 except the 12 referred to by his Ministry have been kept pending;

(b) whether there is any time bound programme within which they have to be disposed of;

(c) if so, what is this time bound programme and what are the details of the review petitions received and kept pending during the said period; and

(d) by when a decision on these representations would be taken?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO) : (a) to (d) As the prices of a large number of bulk drugs and formulations were fixed during the years 1987 and 1988, representations / review petitions have been received from many companies in respect of various price fixations. All efforts are being made to dispose of the pending cases (review petitions) as quickly as possible.

**Recovery of Overcharged Amounts**

2059. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of Industry be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2038 given in the Rajya Sabha on the 28th November, 1988 and state :

(a) what are the details of amounts finalised by the Department and how much amount has been recovered from the companies whose cases were finalised after giving hearing and taking legal opinion;